Regional Office (South)
Rajasthan State Pollution Control Board
8/263, Malviya Nagar, Jaipur 302017
Phone: 0141-4068311, e-mail: ro.jaipursouth@gmail.com

LiFE
Lifestyle for Environment

F.No. RPCB/ROJP/S/Leg-53/ 1188 Date: 23.08.2024

To,

The Register General
National Green Tribunal
Centeral Zonal Bench,
Bhopal-462011 (M.P.)

Sub:- Report of Joint committee constituted In O.A. No. 135/2024 (CZ) In the matter of Narendra Singh Bradwal V/S Union of India & Others order Dated 29.05.2024 passed by Hon'ble Tribunal.

Ref:- Hon'ble NGT order dated 29.05.2024.

Sir,

With reference to above, please find enclosed herewith Factual cum Status Report in O.A. No.135/2024 (CZ) in the matter of Narendra Singh Bradwal V/S Union of India & Others order Dated 29.05.2024 passed by Hon'ble Tribunal. Submitted for kind consideration please.

Yours Sincerely,

Encl:- As above

(Neeraj Sharma)
Nodal Officer

क्षेत्रिय अधिकारी
राज.राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल.
क्षेत्रिय कार्यालय जयपुर (दक्षिण)

REPORT OF JOINT COMMITTEE CONSTITUTED IN O.A. NO. 135/2024 (CZ) IN THE MATTER OF Narendra Singh Bradwal V/S Union of India & Others ORDER DATED 29.05.2024 PASSED BY HON'BLE TRIBUNAL

1. That Hon'ble National Green Tribunal has been pleased to passed order dated 29.05.2024 and constituted a joint committee consisting:-

   i. ***One Representative from the Collector District Dudu.***

   ii. ***One Representative from the Department of Mines & Geology, State of Rajasthan.***

   iii. ***One Representative from Rajasthan State Pollution Control Board.***

   Hon'ble Tribunal directed the aforesaid committee to visit the place and submit the factual and action taken report within in six week. The State Pollution Control Board will be a nodal agency for coordination and logistic support.

2. That in pursuance to order dated 29.05.2024 District Collector appointed Additional District Collector, Dudu, Department of Mines & Geology appointed Asst. Mining Engineer, Jaipur and State Pollution Control Board

appointed Regional Officer, Jaipur (South). A copy of the orders are submitted herewith and marked as **Annexure-1**.

3. That, thereafter, it has been decided that a joint inspection should be held by the joint committee on 13.08.2024 and concern departments as under:-

i. ***Additional District Collector, Dudu.***

ii. ***Assistant Mining Engineer, Jaipur***

iii. ***Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (South).***

In pursuance to aforesaid decision, a joint inspection was held on 13.08.2024. Prior to aforesaid inspection, joint committee try to contact applicant, but due to non-availability of contact number, contact was not made.

It is further submitted that, thereafter, a joint committee visited the site and it was observed that there are total 14 mining leases allotted by the Department of Mines & Geology. Thereafter, two mining leases M/s Shrinath Minerals, M.L. No. 23/2019 (Ref. No. 2019100003043) and M/s Shrinath Minerals, M.L. No. 18/2018 (Ref. No. 2018100002363) as mentioned in the writ petition were visited by

the joint committee and it was observed that ML no. 23/2019 is non-operative since long and ML no.18/2018 is non-operative last 08-09 months. There was no mining activity or blasting and illegal mining observed during inspection. Joint committee also visited nearby agriculture fields, no deposition of dust or damage of agriculture fields due to mining activities were observed.

The committee also took photograph of the site inspection which are annexed along with joint inspection report. A copy of the joint inspection report dated 13.08.2024 along with Photograph is submitted herewith and marked as **Annexure-2**.

4. That Mining Department submitted report dated 24.08.2024 that there are 14 mining leases allotted in the area as per mining Rules and no illegal mining was found. A copy of the report dated 24.08.2024 is submitted herewith and marked as **Annexure-3**.

5. That earlier a case O.A. No. 191/2023 (CZ)in the matter of Sh. Devidas Khatri V/s State of Rajasthan & Others was also filled for the same area against the mining leases and it has been

disposed on 23.02.2024 by the Hon'ble Court. In compliance of order dt. 23.02.2024, mining leases has obtained necessary permission for operation of D.G. Set.

Report is being submitted for kind perusal of Hon'ble Tribunal.

(Gopal Parihar)
Add.District Collector,
Dudu

(Neeraj Sharma)
(Regional Officer)
R.S.P.C.B., Jaipur
(South)

(Subhash Chandra)
Asst. Mining Engineer,
Jaipur

(5)
(ANNEX-1)

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141-2716804, 2716800 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

Helpline No. : 0141-2716877

No. F.10 (614) RPCB/Legal/NGT/2024/ 603-605 Date: 06-06-24

Regional Officer,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Jaipur (South)
Email: - ro.jaipursouth@gmail.com

Subject - Hon'ble National Green Tribunal, Bhopal order dated 29.05.2024 in Original Application No. 135/2024 (CZ), Narendra Singh Bradwal V/s Union of India & Ors.

Sir,

With reference to above subject matter, it is to inform that the Hon'ble NGT has passed an order dated 29.05.2024 and directed inter-alia as follow:-

6. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-

- ***(i) One representative from the Collector, District Dudu, Rajasthan.***
- ***(ii) One representative from Department of Mines and Geology, State of Rajasthan, Rajasthan.***
- ***(iii). One representative from the Member Secretary, Rajasthan Pollution Control Board. Rajasthan***

7. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

You are hereby nominated as member of the committee as well as Nodal Officer on behalf of RSPCB with the direction to ensure compliance of Hon'ble NGT dated 29.05.2024. Copy of Hon'ble NGT order dated 29.05.2024 is being enclosed for ready reference.

Enclosed-As above

(Prema lal) d/c
Member Secretary

Copy to following for Information and for further necessary action –

1. District Collector, Dudu, Rajasthan.
2. Principal Secretary, Department of Mines and Geology, Jaipur , Rajasthan

Member Secretary

RajKaj Ref
7758648

Signature valid d/c

Digitally signed by Prema Lal Raigar
Designation: Chief Environmental Engineer
Date: 2024.06.06 11:38:11 IST
Reason: Approved

(6)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,

खनिज भवन, पंचम तल, तिलक मार्ग, जयपुर – 302 005.

दूरभाष नं. 0141–2227404 Email: me.jaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांकःखअ / जय / सीसी–1 / रे.नं.2018100002363 / ख.प.18 / 2018 / 368 दिनांकः26.06.2024

जिला कलक्टर,

दूदू

विषयः– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन, बेन्च भोपाल के समक्ष प्रस्तुत ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 135 / 2024 द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह बरडवाल बनाम भारत संघ, राजस्थान राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय क्षेत्राधिकार के निकट ग्राम बटियाली तहसील फागी जिला दूदू में आवंटित खनन पट्टे वास्ते खनिज ग्रेनाइट एम.एल. नं. 18 / 2018 मैसर्स श्रीनाथ माइंस एवं एम.एल. नं. 03 / 2019 मैसर्स श्रीनाथ मिनरल्स् को पक्षकार बनाकर क्षेत्र में पर्यावरण पूर्वानुमति एवं कन्सेंट टू आपॅरेट की शर्तो की पालना करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सिंह बरडवाल द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन, बेन्च भोपाल के समक्ष प्रस्तुत ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 135 / 2024 दायर की गई है।

श्रीमान् से निवेदन है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन, बेन्च भोपाल द्वारा आदेश दिनांक 29.05.2024 जारी किये गये की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। माननीय ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश दिनांक 29.05.2024 से ओ.ए. में उठाये बिन्दुओ पर आप श्रीमान् की ओर से अधिकृत(जिला कलक्ट्रेट के), खान विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के प्रतिनिधि की सयुंक्त कमेटी की 6 सप्ताह में क्षेत्र निरीक्षण कर एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। खान विभाग की ओर से प्रतिनिधि हेतु सहायक खनि अभियन्ता, जयपुर श्री सुभाष चन्द्र मनोनीत किये जाने हेतु प्रस्तावित है।

इस पत्र के साथ माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन, बेन्च भोपाल के आदेश दिनांक 29.05.2024 एवं क्षेत्रिय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के पत्र क्रमांक RPCB/ROJP/S/LEG-53 / 438 दिनांक 11.06.2024 की प्रति संलग्न कर श्रीमान् से निवेदन है कि माननीय एनजीटी के आदेश की पालना में सयुंक्त कमेटी में खान विभाग की ओर से श्री सुभाष चन्द्र सहायक खनि अभियन्ता, जयपुर को मनोनीत कर कमेटी गठित कराने के आदेश प्रसारित करा माननीय ट्रिब्यूनल के आदेशो की पालना बाबत आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित कराने का श्रम करावें।

भवदीय

संलग्न :– उक्तानुसार।

(श्याम कापडी)

खनि अभियन्ता, जयपुर।

क्रमांकःखअ / जय / सीसी–1 / रे.नं.2018100002363 / ख.प.18 / 2018 / 369-372 दिनांकः26.06.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को श्री देवेन्द्र सिंह बरडवाल द्वारा प्रस्तुत ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 135 / 2024 की प्रति संलग्न कर प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश प्रसारित करने हेतु प्रेषित है।
2. अतिरिक्त निदेशक(खान) जयपुर क्षेत्र, जयपुर।
3. अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत्त, जयपुर।
4. क्षेत्रिय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को पत्र क्रमांक RPCB/ROJP/S/LEG-53 / 438 दिनांक 11.06.2024 के क्रम में प्रेषित है।

खनि अभियन्ता, जयपुर।

(7)

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दूदू

क्रमांक / न्याय / 2024 / 554 | दिनांक 24/6/24

—:आदेश:—

एतदद्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) मध्य क्षेत्रिय न्यायपीठ भोपाल के पत्र क्रमांक NGT-CZB/JUD./2024/233 BHOPL DATE 31.05.2024 के द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन न0 135 / 2024 (सीजेड) उनवान नरेन्द्र सिंह दरडवाल बनाम भारत संघ व अन्य पारित निर्णय दिनांक 29.05.2024 की अनुपालना में एक संयुक्त समिति का गठन किया जाता है जो निम्नानुसार है।

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर, दूदू।
2. खनिज अभियन्ता, खनन एवं भुविज्ञान विभाग, जयपुर।
3. क्षेत्रिय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड जयुपर दक्षिण या उनके प्रतिनिधि।

उक्त संयुक्त समिति ओरिजनल एपलिकेशन न0 135 / 2024 (सीजेड) उनवान नरेन्द्र सिंह दरडवाल बनाम भारत संघ व अन्य पारित निर्णय दिनांक 29.05.2024 कि पालना में सौंधे वर्णित क्षेत्र का सर्वे कर आवश्यक कार्यवाही कि जाकर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(गोपाल परिहार)
RAS
अति. जिला कलक्टर, एवं
जिला मजिस्ट्रेट, दूदू

क्रमांक / न्याय / 2024 / 555-560 | दिनांक 24/6/24

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, दूदू।
2. रजिस्ट्रार राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) मध्य क्षेत्रिय न्यायपीठ भोपाल।
3. खनिज अभियन्ता, खनन एव भुविज्ञान विभाग, जयपुर।
4. क्षेत्रिय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड जयुपर दक्षिण या उनके प्रतिनिधि।
5. उपखण्ड अधिकारी, फागी।
6. रक्षित पत्रावली।

अति. जिला कलक्टर, एवं
जिला मजिस्ट्रेट, दूदू

RajKaj Ref
5036567

Signature valid
Digitally signed by Gopal Parihar
Designation: Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2024.06.21 13.40:33 IST
Reason: Approved

मौका निरीक्षण रिपोर्ट

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, सेन्ट्रल जोन, भोपाल में विचाराधीन ओ.ए. नं. 135/2024 (CZ) नरेन्द्र सिंह ब्रडवाल विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य मे पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के द्वारा संयुक्त कमेटी का गठन कर वास्तविक एवं कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये गये । जिसकी पालना में संयुक्त कमेटी के निम्न अधिकारियों द्वारा दिनांक 13.08.2024 को मौका निरीक्षण किया गया :–

1. **अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दूदू (जिला कलेक्टर, दूदू के प्रतिनिधि)।**
2. **क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर (दक्षिण)।**
3. **सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जयपुर।**

संयुक्त कमेटी द्वारा ग्राम घटियाली स्थित खनन पट्टों का निरीक्षण किया गया। खान विभाग द्वारा कुल 14 खनन पट्टे स्वीकृत होकर प्रभावशील होना बताया गया। संयुक्त जांच कमेटी द्वारा शिकायत में बताये गये दो खनन पट्टे 23/2019 मैसर्स श्रीनाथ मिनरल्स एवं खनन पट्टा संख्या 18/2018 मैसर्स श्रीनाथ मिनरल्स का मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके की वास्तविक स्थिति निम्नानुसार पायी गयी :–

<u>मैसर्स श्रीनाथ मिनरल्स एम.एल. नं. 23/2019 (रेफरेन्स नं. 2019100003043) ग्राम घटियाली, तहसील फागी, जिला दूदू :</u>

1. मौका निरीक्षण के दौरान बताया गया कि खनिज पट्टे का कुल क्षेत्रफल 1.47 हैक्टेयर एवं खनिज ग्रेनाईट एवं चेजा पत्थर है। खनन पट्टा की वैधता 17.06.2020 से 50 वर्ष तक है एवं राज्य प्रदूषण नियत्रण मण्डल से वैध सम्मति प्राप्त कर संचालित है।
2. मौके पर खनन पट्टे के डिर्माकेशन पिलर एवं नाम का बोर्ड लगा हुआ पाया गया। खनन पट्टे में एक पुराना गड्डा (Old Pit) पाया गया जिसमें बरसात का पानी भरा हुआ था। मौके पर उपस्थित खान प्रतिनिधि श्री उदय गौतम द्वारा बताया गया कि खनन कार्य काफी समय से बंद है। मौका स्थिति के अनुसार भी खनन कार्य काफी समय से बंद होना प्रतित होता है ।
3. खनन पट्टें एवं सटी हुई स्वयं की खातेदारी भूमि में लगभग 250 पेड लगे पाये गये।

(9)

4. खनन पट्टे के पास से गुजरने वाले आम रास्तों एवं खाली भूमि पर ओवरबर्डन डालकर रास्ता अवरूद्ध किया जाना नहीं पाया गया।

मैसर्स श्रीनाथ मिनरल्स, एम.एल. नं. 18/2018 (रैफरेन्स नं. 2018100002363) ग्राम घटियाली, तहसील फागी, जिला दूदू :

1. मौका निरीक्षण के दौरान बताया गया कि खनिज पट्टे का कुल क्षेत्रफल 2.0043 हैक्टेयर एवं खनिज ग्रेनाईट एवं चेजा पत्थर है। खनन पट्टा की वैधता 17.06.2020 से 50 वर्ष तक है एवं राज्य प्रदूषण नियत्रण मण्डल से वैध सम्मति प्राप्त कर संचालित है।
2. गौके पर खगन पट्टे के डिर्माकेशन पिलर एवं नाम का बोर्ड लगा हुआ पाया गया। खनन पट्टे में एक पुराना गड्डा (Old Pit) पाया गया। खनन पट्टे के भीतर कुछ ग्रेनाईट ब्लॉक एवं ओवरबर्डन पडा हुआ पाया गया। मौके पर उपस्थित खान प्रतिनिधि श्री उदय गौतम द्वारा बताया गया कि खनन कार्य गत 08–09 महीने से बंद है एवं कभी–कभी ऑर्डर प्राप्त होने पर ग्रेनाईट ब्लॉक एवं ओवरबर्डन का निर्गम किया जाता है। पूर्व में किये गये खनन कार्य से निकलने वाले ओवर बर्डन स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1472/1018 हिस्सा 1/2, ग्रम कुडली, हल्का पटवार, घटियाली पर इकट्ठा किया जाना बताया गया जो कि मौके पर इकट्ठा होना पाया गया। मौका स्थिति के अनुसार भी खनन कार्य काफी समय से बंद होना प्रतित होता है।
3. खनन पट्टे में एवं सटी हुई स्वयं की खातेदारी भूमि में लगभग 300 पेड लगे पाये गये।

उक्त दोनों खनन पट्टो के आसपास की खातेदारी भूमि को देखा गया जिसमें मूंग एवं बाजरे की खेती होना पाया गया एवं कहीं पर भी धुल से फसल को नुकसान होना नही पाया गया। मौके पर खनन पट्टा उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि वायर सॉ मशीन से कटिंग कर ग्रेनाईट ब्लॉक निकाला जाता है। खनन कार्य में ब्लास्टिंग का उपयोग नही किया जाता है। खनन पट्टे से लगभग 200 मीटर दूर आबादी स्थित है । खान विभाग के प्रतिनिधि के अनुसार खनन पट्टा नियमानुसार आबादी से दूरी को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। ग्राम घटियाली में स्थित जोहड/तालाब का भी गौका देखा गया जिसमें पानी भरा हुआ था। जोहड/तालाब एवं आम रास्ते के साथ एक कच्चा नाला देखा गया जिसे

नहर बताया गया है। जोहड/तालाब एवं नहर (कच्चा नाला) के पास ओवरबर्डन डालकर अवरूद्ध होना नही पाया गया । आम रास्ते पर भी ओवरबर्डन डालकर अवरूद्ध होना नही पाया गया। निरीक्षण के दौरान संयुक्त जांच दल द्वारा मौका स्थल के फोटोग्रफ भी लिये गये जो कि संलग्न है।

(गोपाल परिहार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
दूदू

(नीरज शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी,
राप्रनिम, जयपुर (दक्षिण)

(सुभाष चन्द्र)
सहा.खनि. अभियंता,
जयपुर

Picture- M.L. No. 18/2018

Picture- M.L. No. 18/2018

Picture- M.L. No. 23/2019

Picture- M.L. No. 23/2019 (Non-operational)

(13)

Picture- M.L. No. 18/2018

Picture- Plantation

Picture- Agriculture field

Picture-Agriculture Field

Picture- Aam Rasta/Village Road

Picture- Aam Rasta/Village Road

Picture- KachhaNallah/Cannal

Picture- Johad/Talab

(17)
(ANNEX-03)

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
खनिज भवन, पंचम तल, तिलक मार्ग, जयपुर – 302 005.

दूरभाष नं. 0141–2227404 Email: me.jaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांकःखअ / जय / सीसी–1 / रे.नं.2018100002363 / ख.प.18 / 2018 / 465 दिनांक 24.08.2024

क्षेत्रिय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
8 / 263 मालवीया नगर,
जिला जयपुर
302017

विषयः– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन, बेन्च भोपाल के समक्ष प्रस्तुत ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 135 / 2024 द्वारा श्री देवेन्द्र सिहं बडवाल बनाम भारत संघ, राजस्थान राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक रा.रा.प्र.नि.म. / से.का. / जयपुर(द.)लीगल–53 / 1035 दिनांक 16.08.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान् के संदर्भित पत्र द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 135 / 2024 द्वारा श्री देवेन्द्र सिहं बडवाल बनाम भारत संघ, राजस्थान राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में ग्राम घटियाली तहसील फागी में आंवटित खनन पट्टो बाबत चाहा गया तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

संलग्न :– उक्तानुसार।

(श्याम कापडी)
खनि अभियन्ता, जयपुर।

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
खनिज भवन, पंचम तल, तिलक मार्ग, जयपुर – 302 005.
दूरभाष नं. 0141–2227404 Email: me.jaipur@rajasthan.gov.in

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन, बेन्च भोपाल के समक्ष प्रस्तुत ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 135/2024 द्वारा श्री देवेन्द्र सिहं बडवाल बनाम भारत संघ, राजस्थान राज्य एवं अन्य पर तथ्यात्मक रिपोर्ट

———

इस कार्यालय क्षेत्राधिकारी के जिला जयपुर/दूदू तहसील फागी के ग्राम घटियाली में खनिज ग्रेनाइट एवं चेजा पत्थर के निम्नानुसार खनन पट्टे राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 एवं 2017 के अन्तर्गत प्रभावशील है खनन वास्ते आवश्यक कन्सेट टू ऑपरेट एवं पर्यावरण पूर्वानुमति वर्णित अनुसार जारी है:–

क्र. सं.	एम.एल. नं.	नाम पट्टाधारी/रेस्पॉडेंट नं0	खनिज	क्षेत्रफल (हैक्टर)	पट्टा अवधि	वन विभाग की अनापत्ति	पर्यावरण पूर्वानुमति जारी दिनांक	कन्सेंट टू आपरेट जारी दिनांक
1.	253/1996	श्री रविशंकर शर्मा पुत्र श्री अमर चन्द शर्मा निवासी 6 नाईयो का मौहल्ला, मुकाम पोस्ट चौरू वाया फागी जिला दूदू	ग्रेनाइट	1.38	10.03.2004 से 50 वर्ष	28.05. 2003	04.06. 2016	18.05.2017 से 28.02.2022 तक
2	04/2019	श्री आलोक मोदी पुत्र श्री गणेश कुमार 20/124 कावेरी पथ, मानसरोवर, जिला जयपुर	ग्रेनाइट	1.83	06.01.2021 से 50 वर्ष	09.09. 2019	25.11. 2020	28.12.2020 से 30.11.2025 तक
3.	06/2019	मैसर्स पूनम ग्रेनाइट मार्फत हिमांशी ग्रेनाइट, रहीमपुरा, रूपनगढ रोड, मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर–305801	ग्रेनाइट	1.40	17.06.2020 से 50 वर्ष	06.07. 2019	04.03. 2020	24.06.2020 से 31.05.2025 तक
4.	14/2018	मैसर्स श्री कृष्णा ग्रेनाइट हस्तांतरण मैसर्स श्री कृष्णा मिनरल्स् 197 और 199 इन्दिरा नगर, मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर–305801	ग्रेनाइट	1.03	19.11.2019 से 50 वर्ष	30.10. 2018	09.10. 2019	10.12.2019 से 30.11.2024
5.	14/2019	मैसर्स केसरी ग्रेनाइट 25–26 औंकार नगर, अजमेर 305001	ग्रेनाइट	1.16	17.06.2020 से 50 वर्ष	07.11. 2019	04.03. 2020	24.06.2020 से 31.05.2025 तक
6.	09/2019	श्री मनीष अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चन्द निवासी 13/77 स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जिला जयपुर 302020	ग्रेनाइट	2.1	26.08.2020 से 50 वर्ष	10.10. 2019	14.05. 2020	16.09.2020 से 31.08.25
7.	11/2019	ओएसिस माइंस एण्ड मिनरल हस्तान्तरण श्रीराम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड,मार्फत ओएसिस माइंस एण्ड मिनरल खसरा नं0 544, 551, 572, 573 ग्राम घटियाली तहसील	ग्रेनाइट	2.32	26.08.2020 से 50 वर्ष	03.10. 2019	13.05. 2020	17.09.2020 से 31.08.2025 तक

		फागी जिला जयपुर।					
8.	17/2020	श्री ओमप्रकाश रणवा पुत्र श्री रामेश्वर लाल निवासी रणवा सदन, चौधरी चरण सिहं नगर, नवलगढ रोड, वार्ड नं.41 जिला सीकर	ग्रेनाइट	1.0	23.08.2022 से 50 वर्ष	03.03. 2021	31.08. 2021	—
9.	18/2018	मैसर्स श्रीनाथ माइंस प्लाट नं. 197–198 इन्दिरा नगर, जयपुर रोड, मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर	ग्रेनाइट एवं चेजा पत्थर	2.0043	17.06.2020 से 50 वर्ष	13.02. 2019	27.01. 2020	01.07.2020 से 30.06.2025
10.	03/2019	मैसर्स श्रीनाथ मिनरलस् प्लाट नं0 68–69 श्रीकृष्णा कॉलोनी, विधानसभा नगर, धौलाई मानसरोवर, जिला जयपुर 302020	ग्रेनाइट एवं चेजा पत्थर	1.47	17.06.2020 से 50 वर्ष	13.02. 2019	27.01. 2020	01.07.2020 से 30.06.2025
11.	07/2019	मैसर्स पूनम ग्रेनाइट, मार्फत हिंमांशी ग्रेनाइट, रहीमपुरा, रूपनगढ रोड, मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर–305801	ग्रेनाइट	1.61	17.06.2020 से 50 वर्ष	06.07. 2019	04.03. 2020	25.06.2020 से 31.05.2025 तक
12	13/2018	श्री नौरत्तमल गुर्जर पुत्र श्री बालूराम निवासी 6 घटियाली, तहसील फागी जिला जयपुर 303005	ग्रेनाइट	1.00	17.06.2020 से 50 वर्ष	30.10. 2018	27.01. 2020	02.07.2020 से 30.06.2025 तक
13	16/2021	मैसर्स श्री श्याम ग्रेनइन्फा एलएलपी एलजी 4 दुकान नम्बर बी–25 मंगलम सिटी हाथोज, कालवाड रोड, जिला जयपुर	ग्रेनाइट	1.3037	13.02.2024 से 50 वर्ष	05.05. 2023	अप्राप्त	अप्राप्त
14	15/2021	श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री अमित मीणा निवासी घटियाली मण्डावरी तहसील फागी जिला जयपुर/दूदू	ग्रेनाइट	1.25	27.10.2023 से 50 वर्ष	08.09. 2021	अप्राप्त	अप्राप्त

उक्त खनन पट्टे राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 28(1)(xvi) वर्णित अनुसार रेल्वे लाइन/रोपवे/सार्वजनिक सडक(माइंस सडक एवं ग्रामीण सडक को छोडकर)/सार्वजनिक स्थान या भवन, रेल्वे पिलर और ब्रिज आदि से 45 मीटर निर्धारित दूरी पर खनन हेतु आवंटित किये गये है तथा उक्त खनन पट्टा क्षेत्रो का खान एवं खनिज(विकास एवं विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत समय–समय पर विभागीय अधिकारी एवं तकनिकी स्टाफ द्वारा मौका निरीक्षण किया जाता है, विगत वर्षो में उक्त खनन पट्टो में अवैध खनन का कोई प्रकरण नहीं वना है।

(श्याम कापडी)
खनि अभियन्ता, जयपुर।